

# कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश

17, अरेरा हिल्स, भोपाल

दूरभाष— 2550488, 2550354, 2550446, फ़ैक्स 0755—2555162

E-Mail : [chiefelectoralofficermp@gmail.com](mailto:chiefelectoralofficermp@gmail.com) Website: <http://ceomadhyapradesh.nic.in>

फा.क्र. 10क/2017/चार-क/निरर्हित व्यक्ति/10500 भोपाल, दिनांक 23/11/2017  
प्रति, 27

कलेक्टर एवं  
जिला निर्वाचन अधिकारी,  
समस्त, मध्यप्रदेश

विषय:—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10क के अंतर्गत निरर्हित व्यक्तियों की अद्यतन सूची के संबंध में।

संदर्भ:—भारत निर्वाचन आयोग का आदेश क्रमांक सं. 76/MP-LA(Bye)/2014 दिनांक 07 नवम्बर 2017

कृपया भारत निर्वाचन आयोग के आदेश दिनांक 07 नवम्बर 2017 संलग्न का अवलोकन करें। आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10क के तहत 166-आगर (अनुसूचित जनजातिय) से उप निर्वाचन-2014 में लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मुकेश सोनगरा को आयोग ने निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल होने के कारण आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित कर अद्यतन सूची उपलब्ध कराई है। कृपया समस्त रिटर्निंग ऑफिसर को सूचित कर प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न—उपरोक्तानुसार

(एस.एस.बसंल)

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी  
मध्यप्रदेश

पृ.क्र. 10क/2017/चार-क/निरर्हित व्यक्ति/10501 भोपाल, दिनांक 23/11/2017

1. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आगर-मालवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. समस्त रिटर्निंग, अधिकारी मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित कर लेख है कि जिला कलेक्टर से सूची प्राप्त करें एवं आगामी निर्वाचनों में आयोग के निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
3. सचिव, /अध्यक्ष राजनैतिक दल, समस्त की जानकारी हेतु निरर्हित व्यक्तियों की अद्यतन सूची भारत निर्वाचन आयोग, की वेब साईट [WWW.eci.nic.in](http://WWW.eci.nic.in) पर अवलोकन कर सकते हैं।
4. श्री राहुल बाघमारे, प्रोग्रामर की ओर प्रेषित कर लेख है कि उक्त सूची सीईओ की वेबसाईट पर भी अपलोड कर शाखा को अवगत करावें।

(एस.एस.बसंल)

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी  
मध्यप्रदेश

TO BE PUBLISHED IN THE NEXT ISSUE  
OF THE GAZETTE OF INDIA PART-II  
SECTION- 3(III)  
TO BE RE-PUBLISHED IN THE NEXT  
ISSUE OF THE MADHYA PRADESH  
STATE GAZETTE

# ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001.

No. 76/MP-LA (Bye)/2014

Dated : 07<sup>th</sup> November, 2017  
16 Kartika, 1939 (Saka)

## ORDER

Whereas, the Election Commission of India is satisfied that the contesting candidate specified in column 4 of the Table below at the Bye Election to the Legislative Assembly in the Madhya Pradesh State specified in column 2 and held from the constituency specified in column 3 against his/her name has failed to lodge the account of his/her election expenses/failed to lodge the account of his/her election expenses in the manner required by law as shown in column 5 of the said Table as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made there under;

And whereas, the said candidate has either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice by the Election Commission of India or after considering the representation made by him/her, if any, the Election Commission of India is satisfied that he/she has no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission of India hereby declares the person specified in column 4 of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order:-

## TABLE

Sl No.	Particulars of Election	Sl. No. & Name of Assembly Constituency	Name & Address Contesting Candidate	Reasons for Disqualification
1	2	3	4	5
1	Bye Election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly, 2014	166 – Agar (SC)	Mukesh Songara 184, Sunwani Road, Kshipra, District Dewas, Madhya Pradesh	Failed to lodge any account of his election expenses.

By order,

  
(ANUJ JAIPURIAR)  
SECRETARY

ELECTION COMMISSION OF INDIA

भारत के राजपत्र के अगले अंक के भाग-II, खण्ड-3 (iii) में प्रकाशनार्थ ।
मध्य प्रदेश राज्य के राजपत्र के अगले अंक में पुनः प्रकाशनार्थ ।

## भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं० 76/म०प्र०-वि०स०(उप-निर्वाचन)/2014

दिनांक : 07 नवम्बर, 2017  
16 कार्तिक, 1939 (शक)

### आदेश

यतः, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट मध्य प्रदेश राज्य से विधानसभा के उप-निर्वाचन में, स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से और उसके सामने स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, तथा तद्वीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत यथाअपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ 5 में यथादर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में/निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में विफल रहा है;

और यतः, उक्त अभ्यर्थी ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सम्यक नोटिस दिए जाने के बावजूद, उक्त विफलता के लिए या तो कोई कारण या स्पष्टीकरण नहीं दिया है, या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के उपरान्त भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उक्त विफलता के लिए उनके पास कोई उपयुक्त या न्यायोचित कारण नहीं है;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, नीचे की सारणी के स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है:-

### सारणी

क्र० सं०	निर्वाचन का विवरण	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम तथा पता	निरर्हिता का कारण
1	2	3	4	5
1	मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए उप-निर्वाचन, 2014	166 - आगर (अ.जा.)	मुकेश सोनगरा, 184, सुनवानी रोड क्षिप्रा, जिला देवास, मध्य प्रदेश	निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल रहे हैं ।

आदेश से,

अनुज जयपुरियार  
(अनुज जयपुरियार)  
प्रधान सचिव,  
भारत निर्वाचन आयोग